मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. **3522**
10.08.2026 को उत्तर के लए

करही-चंड़ी चूना पत्थर की खदानों के संबंध में शकायतें

3522 श्री वजय बघेलः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या पछले पांच वर्षों के दौरान सरकार को करही-चंडी चूना पत्थर खदानों (श्री सीमेंट), जिला बलोदाबाजार से संबं धत पर्यावरणीय अनिय मतताओं, कड़ही जलाशय और जनजातीय भू म के संबंध में शकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर सरकार की क्या प्रति क्रया है;

(ग) क्या सरकार ने 12.09.2025 को खनिज संसाधन वभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उक्त शकायतों की जांच करने, आवश्यक कार्रवाई करने और सरकार तथा शकायतकर्ता को इसकी रिपोर्ट प्रदान करने के निर्देश जारी कए थे;

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार से प्राप्त अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतिम जांच या कार्रवाई पूरी नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या केंद्र सरकार द्वारा इस मामले के समयबद्ध समाधान के लए समय-सीमा निर्धारित करने या राज्य सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) से (च) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को दिनांक 02.09.2025 को एमओईएएफ/ई/2025/0003275 के माध्यम से मेसर्स श्री सीमेंट ल मटेड की करही-चंडी चूना पत्थर खदान के संबंध में करही जलाशय और जनजातीय भू म पर क थत अतिक्रमण के संबंध में सार्वजनिक शकायत प्राप्त हुई, जिसमें आशय पत्र के दायरे से बाहर खसरा के आवंटन से संबं धत आरोप भी शा मल थे।

इस शकायत को मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को भू वज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम), छत्तीसगढ़ सरकार और सदस्य स चव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) को लागू कानूनों के उपबंधों के अनुसार जांच और उ चत कार्रवाई के लए भेजा गया था।

सीईसीबी और डीजीएम से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रारम्भ में दिनांक 15.05.2020 को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) 242.127 हेक्टेयर क्षेत्र के खनन पट्टे के लए दी गई थी और बाद में दिनांक 29.10.2021 को इसे संशो धत कया गया था जिसमें करही जलाशय से संबं धत 16.408 हेक्टेयर को छोड़कर पट्टा क्षेत्र को घटाकर 225.719 हेक्टेयर कर दिया गया और आशय पत्र (एलओएल) में भू म अनुसूची से संबं धत अस्पष्टता का निराकरण कर लया गया था।

इसके अलावा, करही जलाशय से संबं धत सरकारी भू म को निजी भू म के रूप में दावा करने का कोई मामला सामने नहीं आया है। यह भी सू चत कया गया है क जलाशय क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, न ही परियोजना प्रस्तावक ने उक्त क्षेत्र में कोई खनन कार्य शुरू कया है। यह भी सू चत कया गया है क पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 12.09.2025 के निर्देशों से पहले इसी तरह की शकायतों पर डीजीएम और सीईसीबी के अ धकारियों द्वारा कई संयुक्त निरीक्षण कए गए हैं और शकायतें वास्त वक नहीं पाई गईं। इसके अलावा, दिनांक 06.03.2026 को शकायतकर्ता की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण भी कया गया, जिसके दौरान आसपास के गांवों से परिवेशी वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर और भूजल के नमूने एकत्र कए गए और उनका वश्लेषण कया गया, और सभी जांच कए गए पर्यावरणीय मापदंड निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए।
